ख
क्रम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रार्थना-पत्र संख्या 06/2024
जवाराराम का.मु. गोबताराम वगैरह बनाम हुकमा का.मु. बादरा वगैरह

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

आदेश

दिनांक 28.05.2025

उपस्थिति
1. प्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता, श्री बाबुलाल विश्नोई।
2. विप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा श्रीमानजी के समक्ष उपरोक्त उनवान की अपील पेश की गई थी जो दिनांक 08.08.2019 को न्यायालय में सुनवाई हेतु नियत थी। अपीलांट अधिवक्ता पैरवी हेतु हाजिर नहीं हुए। अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति होने से पेशी तारीख की जानकारी न होने से उपस्थित नहीं हो सके थे। उक्त प्रकरण का न्यायिक रूप से गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारों के मध्य विवाद शांत हो एवं दोनों पक्ष न्यायालय के अंतिम निस्तारण अर्थात न्याय से संतुष्ट हो सके जिसकी पूर्ति हेतु भी उक्त अपील को पुनः बरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता की गलती या भूल की सजा निर्दोष पक्षकारों को नहीं दी जा सकती है। अतः धारा 05 का आवेदन स्वीकार करने का उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि उक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए उक्त अपील को इसी स्तर पर पुनः ग्रहण कर उसका गुणावगुण पर न्यायिक निस्तारण करने के आदेश कर सकें। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपील संख्या 134/2016 को दिनांक 08.08.2019 को खारिज की गई। प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा न्यायालय आदेश की पालना में अपीलांट के कायम मुकाम पेश नहीं करने की वजह से प्रकरण को अदम हाजरी, अदम पैरवी व अदम पालना में खारिज किया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट अधिवक्ता स्वयं के हस्ताक्षर आदेशिका दिनांक 03.06.2019 में है। उसके बावजूद अपीलांट के कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई। उपरोक्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण/अपीलांट पैरवी में उदासीनता बरत रहा है। अदम पालना में आवेदन खारिज होने के कारण प्रकरण को स्वीकार करना विधि सम्मत नहीं है। हस्तगत आवेदन प्रार्थी द्वारा लगभग 05 वर्ष बाद पेश किया गया। विलंब का कोई विधि सम्मत कारण नहीं बताया गया। लिहाजा अपीलांट का आवेदन मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 28.05.2025 को सुनाया गया।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर